

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 27.01.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-23 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना इटियाथोक पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना तरबगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. जयराम पुत्र स्व० राम खेलावन निवासी ग्राम मुन्नू पुरवा (बकियापुर) थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 52 अदद क्वार्टर देशी शराब (कुल 10 ली० 400मी०ली०) ब्राण्ड नगीना देशी शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 35/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 27.01.2023

लापरवाही पूर्वक हाइड्रा चलाकर दुर्घटना करने वाला चालक गिरफ्तार, हाइड्रा को पुलिस ने लिया कब्जे में-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा लापरवाही पूर्वक हाइड्रा (गाड़ी नं० UP71T7769) चलाकर दुर्घटना करने वाले हाइड्रा चालक अभियुक्त पिटू कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया तथा हाइड्रा को कब्जे में ले लिया गया है। दिनांक 26.01.2023 को वादी के पिता रामप्रकाश मौर्य अपने कार (गाड़ी न० – UP43V0075) से गणतन्त्र दिवस के अवसर पर विकास खण्ड कटरा(गोण्डा) सम्मिलित होने जा रहे थे कि सुबह करीब 07.30 बजे महादेवा (केशवपुर पहड़वा) के पास चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक हाइड्रा चलाकर वादी के पिता के कार में ले जाकर दुर्घटनाग्रस्त कर दिया था। जिससे वादी के पिता का मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। मृतक के शव का पंचायतनामा भर कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

01. पिटू कुमार सिंह पुत्र श्रीकान्त सिंह निवासी ग्राम मुंगांव थाना पुरान सराय जिला बक्सर बिहार।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु०अ०सं०- 074/2023, धारा 279, 304ए भादवि व 184 एम०वी० एक्ट थाना को०नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम:-

उ०नि० अवधेश यादव मय टीम